FORM No. II

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अज अदालत.....मुकाम.....

.....सरोज शर्मा.....बनाम.....प्रेमदेवी वगैरह.....

किस्म मुकदमा.....राज0 काश्तकारी अधि0 1955 अर्न्तगत धारा 225.....नं.....44.....सन्.....2023....

.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.07.23	पत्रावली बाद जाँच रिपोर्ट आज पेश हुई। रिपोर्ट संरिस्ता का अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलाण्ट अधिवक्ता श्री श्याम मोहन शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा यह अपील अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर में दायर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवान प्रेमदेवी बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 14.02.2017 से मियाद बाहर पेश की गई। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 14.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के दिनांक 22.03.2017 तक इस कदर जारी की गई कि वे हाल आराजी ख.नं. 3304,3305, 3310, 3311, 3308, व 3309 वाके ग्राम रंवाजना चौड तहसील सवाई माधोपुर के लिए किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान इत्यादि नही करे। प्रार्थी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करें। मातहत अदालत के इस आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थीगण द्वारा अपील न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस् अप्रार्थीगण को सुनवाई को कोई समुचित अवसर प्रदान नही किया गया तथा रेस्पोडेन्टस् की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर उपरोक्त अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून तथा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया है। रेस्पोडेन्टस् नंबर 01 लगायत 03 ने जो तहत न्यायालय में वाद पत्र पेश किया है क्योंकि बिना घोषणा के वादीगण को खातेदारी प्रदान नही की जा सकती ना ही राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन किया जा सकता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 04.05.2022	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जा चुका है तथा पश्चात् रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 52/22 पर दिनांक 30.01.2023 पर अपीलांट को सुने बिना प्रकरण को रेस्टोर कर दिया गया तथा विधि का स्पष्ट सिद्वान्त है कि एक बार प्रकरण रेस्टोर हो जाने के बाद उसके साथ संलग्न प्रार्थना पत्र पर जारी स्थगन आदेश स्वतः ही प्रभावी हो जाता है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.02.2017 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील के साथ अपीलाण्टगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र 96 सी0पी0सी0 भी पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अंतरिम आदेश की जानकारी दिनांक 20.06.2023 को अपीलांट हल्का पटवारी से जाकर मिली और अपने खाते की जानकारी की इस पर उन्होने बताया कि खाते पर उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा स्थगन आदेश जारी किए हुए है। दिनांक 23.06.2023 को आदेश की नकल हेतु आवेदन किया एवं 26.06.2023 को नकल प्राप्त की। देरी की अवधि को कण्डोन किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अतः अपील हाजा को अंदर मियाद फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम की एकपक्षीय बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है। विभिन्न माननीय न्यायालयों में मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

अपील मे वर्णित आराजीयात अपीलांट की जरिये रजिस्टर्ड कयशुदा आराजी है जिसमे अपीलांट के हक व अधिकार निहित है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

आलोच्य निर्णय पारित करते समय तीन तथ्यों प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का विवेचन नहीं किया गया। अपीलाण्टान के अधिकारों का हनन किया गया है। अपीलाण्टगण विवादित आराजीयात के रजिस्टर्ड केता काश्तकार है। इसके अतिरिक्त लगभग अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के करीब 06 साल बाद भी निर्णय अन्तिम रूप से नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए तहत अदालत द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 14.02.2017 को अपास्त किया जावें।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2017 का अवलोकन किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की पूर्ण पीठ के निर्णय रिविजन/एसआर/9867/2012/नागौर निर्णय दिनांक 12.03.2014 द्वारा एक राजस्व न्यायालय को एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 में सक्षमता के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। इस विवेचन के अनुसार एक राजस्व न्यायालय को, अपवादस्वरूप स्थिति में, एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सक्षमता, राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत है, यदि प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीन महत्वपूर्ण घटक प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित पाये जाते हैं।

द्वितीय; महत्वपूर्ण बिन्दु कि क्या ऐसे आदेशों की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को धारा 225 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के अन्तर्गत ग्रहण करने की सक्षमता है? इसके विवेचन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जारी किये गये एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेशों को सुनने की क्षेत्राधिकारिता है, परन्तु आगामी पेशी तक प्रभावी रहने वाले आदेशों के लिये नहीं है।

इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शन परीक्षण न्यायालय हेतु जारी किये गये हैं–

1. प्रथम तो परीक्षण न्यायालयों को ऐसे आदेश जारी करने से बचना चाहिए, परन्तु परिस्थितियों की माँग है तो, धारा 212 के तीनों घटकों की विद्वतापूर्ण परीक्षण करने पर यदि प्रकरण पाया जाता है तो जारी किया जाना चाहिए।
2. यदि ऐसा प्रकरण पाया जाता है कि एक पक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्तावश्यक है तो यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

स्वस्पष्ट व तार्किक होना चाहिए और एक माह की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

3. परीक्षण न्यायालय को ऐसे आदेशों की सूचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाने का प्रावधान बाध्यकारी है।

4. परीक्षण न्यायालयों के लिए यह बाध्यकारी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश जो एकपक्षीय आदेश आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के तहत दिये गये हैं, उनको 30 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मुख्य बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह बात स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश मे वर्णित आराजी मे से अपीलांट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.05.2017 को भूमि क्रय की गई तथा रजिस्टर्ड बेचान के पश्चात् मोके पर कब्जा संभला गया है, तथा वाद पत्र मे अपीलांट द्वारा वादपत्र मे पक्षकार बनने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है उनकी अनुपस्थित मे अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुने बिना पारित किया गया है। न्यायहित मे अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। तथा पूर्व मे वाद पत्र अदम पैरवी मे खारिज हो चुका है तथा पुनः रेस्टोर करने पर अपीलांट को नही सुना गया है। यद्यपि यह तथ्य तो मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर ही तय होगा कि रेस्पाडेण्ट का किस प्रकार हित प्रभावित होगा, चूंकि अपीलांट विवादित आराजियात का रजि0 केता काश्तकार है अतः इस आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में पाया जाता है।

प्रथम, अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं की व्याख्या नहीं की गई है कि किस प्रकार ये तीनों घटक प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट के पक्ष में हैं।

द्वितीय, अदालत मातहत द्वारा करीब 05 वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया गया है तथा प्रकरण मूल वाद पत्र के साथ पत्रावली संलग्न कर दी गई है जिसमे अपीलांट को सुना जाना आवश्यक है। जबकि ऐसे आदेशों को 01 माह की अवधि में निस्तारित किया जाना अनिवार्य है।

तृतीय, अदालत मातहत द्वारा पूर्ण पीठ का निर्णय दिनांक 12.03.2014 के मार्गदर्शनों की पालना नहीं की गई है।

चतुर्थ, तहत अदालत की आदेशिका में ऐसी किसी परिस्थिति का उल्लेख नहीं है कि प्रकरण 'अत्यंतावश्यकता' का है, जिसके कारण एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की गई है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के मुकदमा नंबर 10/2017 आदेश दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

14.02.2017 की कियान्विति एवं प्रचलन स्थगित किया जाकर अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को पक्षकार बनाया जाकर एवं उभय पक्षों को 'सुनवाई का युक्तियुक्त' अवसर प्रदान करते हुए नियत अवधि में निस्तारण करें। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अदालत मातहत को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 12.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner